भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या #51
दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 / 16 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

छतीसगढ़ में पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)

51# श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिस आधुनिकीकरण (एमपीएफ) के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;
(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में 2021-22 में आवंटित की गई धनराशि में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गई है;
(ग) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या को देखते हुए पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य द्वारा की गई मांग के अनुसार बजट आवंटित करने का विचार रखती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। हालांकि, केंद्र सरकार 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' (एएसयूएमपी) की योजना [राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) की पूर्ववर्ती योजना] के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने की दिशा में उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस् योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को चालू वित्त वर्ष, यानी 2022-23, के लिए आवंटित धनराशि ₹ 11.01 करोड़ है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों के मामले में केंद्रीय आवंटन का आकार कम हो गया है क्योंकि हाल के वर्षों में योजना के लिए वार्षिक आवंटन में कमी आई है। यह कमी दो मुख्य कारणों से है। सबसे पहले, वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद से, जब 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति पर करों के विभाज् पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई थी, तब निर्माण कार्यों के लिए वित्त पोषण बंद कर दिया गया था और राज्यों द्वारा आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन आवंटित करने की उम्मीद थी। दूसरा, राज्य पुलिस बलों की खर्च करने की क्षमता कम रही है, जिसके कारण बाद के वर्षों में योजना का आवंटन कम रहा। विगत पांच वित्तीय वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में योजना के कुल आवंटन, छत्तीसगढ़ को आवंटित राशि एवं राज्य को जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना का कुल आवंटन	छत्तीसगढ़ को आवंटित राशि *	छत्तीसगढ़ को को जारी राशि ***
2017-18	769.00	11.87	2.02
2018-19	769.00	10.52	8.56
2019-20	811.30	9.72	8.35
2020-21	770.76	9.72	7.16
2021-22	620.45	9.72	5.44
2022-23	620.45	11.01**	--

*पुलिस सुधारों के लिए प्रोत्साहन राशि, आदि का प्रावधान करने के बाद पूर्व-निर्धारित 'अंतर-राज्यीय और केंद्रशासित प्रदेश वितरण सूत्र' के आधार पर निधि का वितरण किया जाता है।

** केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के बावजूद, योजना के लिए समान आवंटन के साथ, छत्तीसगढ़ का हिस्सा चालू वर्ष से अद्यतन 'अंतर-राज्यीय और केंद्रशासित प्रदेश वितरण सूत्र' के साथ बढ़ा है।

*** राज्य सरकार के पास अव्ययित शेष राशि के लम्बित होने के कारण प्रत्येक वर्ष जारी की गई धनराशि आवंटित राशि से कम थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ को आज तक कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की अव्ययित धनराशि ₹ 30.61 करोड़ (अर्थात, केंद्रीय रिलीज में से: ₹15.46 करोड़ और राज्य के हिस्से से: ₹ 15.15 करोड़) है।

राज्य सभा अतारांकित प्र.सं. 51, दिनांक 07/12/2022

(घ) छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या को देखते हुए, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत, केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में वामपंथी उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षाकर्मियों के परिवार को अनुग्रह राशि का भुगतान, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और संचालन की जरूरतें, संबंधित राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के कैडरों को मुआवजा, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचा और प्रचार सामग्री से संबंधित सुरक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

इसके अलावा, वर्ष 2017 में स्वीकृत सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की योजना के अंतर्गत, सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल, जो आकस्मिक प्रकृति के हैं और जिसमे तुरंत कार्रवाई आवश्यक हैं, को भरने के लिए धन दिया जाता है।

पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन प्रमुख योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

योजना	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (30.11.2022 तक)**
एसआरई (एलडब्ल्यूई)	92.75	54.53	120.81	140.61	136.82	133.35
एससीए	40.00	266.67	266.64	114.00	140.00	7.50

इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में '250 पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष बुनियादी ढांचा योजना' (एसआईएस) को वर्ष 2017 में मंजूरी दी गई थी। इस योजना में 60 (केंद्र): 40 (राज्य) का लागत साझाकरण अनुपात है। इसे प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्यों को वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है। योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ से वर्ष 2017-18 में ₹24.00 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 में ₹201.50 करोड़ की परियोजनाओं/कार्यों के प्राप्त प्रस्तावों का शासन ने अनुमोदन किया। राज्य सरकार को क्रमशः 2017-18 और 2019-20 के दौरान ₹ 13.00 करोड़ और ₹ 23.62 करोड़ का लागू अग्रिम जारी किया गया था।

******